

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025/09(आ०) पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,

संयुक्त सचिव

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,

पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, बेगूसराय,

कैमूर, शिवहर, सुपौल, अररिया,

भागलपुर, नवादा, नालंदा, पूर्णियाँ एवं सिवान।

पटना, दिनांक 24/4/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 18.04.2025 के आलोक में कुल ₹3,90,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 18.04.2025 द्वारा राज्य योजना मद से राज्य के 78 नवनिर्मित पंचायत सरकार भवनों के लिए उपस्कर क्रय हेतु स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुलग्नक-01 के अनुरूप ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र की दर से कुल ₹3,90,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹3,90,00,000.00 (तीन करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

राशि रुपये में				
क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	पूर्वी चम्पारण	सुगौली	उत्तरी सुगौव	500000.00
2	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कुरम्हा	500000.00
		बारुण	कंचनपुर	500000.00
		नबीनगर	जयहिन्द तेन्दुआ	500000.00
			मुंगिया	500000.00
		कुटुम्बा	दधपा	500000.00
			डुमरी	500000.00
		रफीगंज	बघौरा	500000.00
			बलिगाँव	500000.00
		देव	बेदनी	500000.00

3	बेगूसराय	नावकोठी	विष्णुपुर आहोक	500000.00
		मटिहानी	मनिअप्पा	500000.00
4	कैमूर	अधौरा	दिघार	500000.00
		भभुआ	दुमदुम	500000.00
			महुअत	500000.00
		भगवानपुर	पहड़िया	500000.00
		चैनपुर	करजांव	500000.00
		मोहनियाँ	भरखर	500000.00
			पानापुर	500000.00
		रामगढ़	सदुल्लहपुर-डरवन	500000.00
			सिझुआ	500000.00
		रामपुर	अमांव	500000.00
			बेलांव	500000.00
		चाँद	कुड़डी	500000.00
			सौखरा	500000.00
		दुर्गावती	छांव	500000.00
			खड़सरा	500000.00
5	शिवहर	पुरनहिया	बखार चण्डिहा	500000.00
			परसौनी बैज	500000.00
		पिपराही	मेसौढ़ा	500000.00
			तरियानी	500000.00
6	सुपौल	प्रतापगंज	सुखानगर	500000.00
		बसंतपुर	रतनपुर	500000.00
			कुशहर	500000.00
		त्रिवेणीगंज	गोनहा	500000.00
			कुशहा	500000.00
		राघोपुर	विशनपुर दौलत	500000.00
		सुपौल	अमहा	500000.00
		छातापुर	जीवछपुर	500000.00
7	अररिया	फारबिसगंज	पथरा उत्तर	500000.00
			रामनगर	500000.00
		सिकटी	कुशमाहा	500000.00
8	भागलपुर	भरगामा	दहगामा	500000.00
		कहलगांव	सिरसिया हनुमानगंज	500000.00
			कोदवार	500000.00
9	नवादा	नाथनगर	गोसाई दासपुर	500000.00
		अकबरपुर	फतेहपुर	500000.00
			हरदिया	500000.00
		रजौली	सवैयाटांड	500000.00
			जोगियामाड़न	500000.00
		वारसलीगंज	टेरा	500000.00
		नारदीगंज	मसौढ़ा	500000.00
		सिरदल्ला	बाधी	500000.00

10	नालंदा	हिलसा	योगीपुर	500000.00
		बिहार शरीफ	मुरौड़ा	500000.00
			बियवानी	500000.00
		सिलाव	नानंद	500000.00
		इस्लामपुर	मोहनचक	500000.00
			सुहावनपुर सुढी	500000.00
		रहुई	पेसौर	500000.00
			दोसुत	500000.00
		वेन	नेहुसा	500000.00
		सरमेरा	केनार	500000.00
		चण्डी	महकार	500000.00
		अस्थावां	सारे	500000.00
11	पूर्णिया	करायपरशुराय	बेरथू	500000.00
		कसबा	कुल्लाखास	500000.00
		जलालगढ़	खासीपुर बेगमपुर	500000.00
		रूपौली	घुसड़ टीकापट्टी	500000.00
		श्रीनगर	चनका	500000.00
		धमदाहा	नीरपुर	500000.00
12	सीवान	बसंतपुर	कन्हौली	500000.00
		बड़हरिया	दीनदयालपुर	500000.00
		सीवान सदर	भंटा पोखर	500000.00
			पीठौरी	500000.00
		नवतन	खलवा	500000.00
कुल				39000000.00

तीन करोड़ नब्बे लाख रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग संख्या-16 के राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय-उपशीर्ष-0114-ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु" मद के विषय शीर्ष-0114.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन' इकाई से किया जायेगा। इसका मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड 16-2515008000114 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित जिले के जिला कोषागार से बिहार कोषागार सहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस आवंटित राशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 02(स्वी०) दिनांक 18.04.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।
7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
10. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
12. इस आवंटन आदेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025 के पृष्ठ संख्या ... 0.5/टि० पर दिनांक 22/04/2025 को प्राप्त है।
14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वसिभाजन,
24/4/25
(नजर हुसैन)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025/09(आ०)/पं०रा०पटना, दिनांक 24/4/2025
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/
संबंधित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/संबंधित जिला कोषागार
पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2025/09(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 24/4/2025
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नज़र हुसैन)

संयुक्त सचिव

B-2